

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली के अन्तर्गत गौचर - सिदोली - धनपुर मोटर मार्ग का विस्तार।

एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन।

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2007 -एफ०सी० दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन०पी०वी० की देयता निम्नानुसार है:-

- 1- इको-क्लास की श्रेणी..... V
- 2- हरियाली का घनत्व..... 0.4
- 3-एन०पी०वी० की दर 9,39,000
- 4-आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल..... 2.23
- 5-कुल देय एन०पी०वी०..... ₹0 20,93,970.00

(नीतू लक्ष्मी एन०)
उप वन संरक्षक,
केदारनाथ वन्यजीव भूभाग, गोपेश्वर।